भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2072

उत्तर देने की तारीख- 12/02/2026

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दावे

2072. श्री राजकुमार रोत:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत देश भर में अब तक प्राप्त व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकार दावों का ब्यौरा क्या है और देश में राज्य-वार स्वीकृत, अस्वीकृत एवं लंबित दावों की संख्या कितनी है;

(ख) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रदत्त और राजस्व अभिलेखों में दर्ज वन अधिकार पट्टों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे वन अधिकारधारकों को प्रदान किए जा रहे लाभों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त अधिनियम के अंतर्गत अस्वीकृत किए गए सभी सामुदायिक तथा व्यक्तिगत वन अधिकार दावों पर पुनर्विचार करने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त अधिनियम के अंतर्गत दायर आवेदनों के निपटान हेतु निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं और इन्हें 20 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) संकलित करता है।

राज्यों द्वारा दी गई नवीनतम जानकारी और 31.12.2025 तक एमपीआर के तहत संकलित जानकारी के अनुसार, कुल 51,92,219 दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें 49,77,166 व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) और 2,15,053 सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) दावे शामिल हैं, जिनमें से कुल 25,43,580 दावों (24,20,251 आईएफआर और 1,23,329 सीएफआर) को मंजूरी दी गई है। साथ ही, कुल 18,90,360 दावे खारिज किए गए हैं और कुल 7,58,279 दावे निर्णय के लिए लंबित हैं। 31.12.2025 तक राज्य-वार निपटाए गए दावों का विवरण, दाखिल किए गए दावों, वितरित किए गए अधिकार पत्रों और खारिज किए गए दावों के ब्यौरे **अनुलग्नक-I** में दिये गये हैं।

(ख): राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें एफआरए और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। एफआरए नियम 2012 के नियम 8 के अंतर्गत निहित प्रावधान, एफआरए, 2006 और उसमें निहित नियमों के प्रावधानों के अनुसार गठित जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) को अधिकार अभिलेख के उचित रखरखाव के लिए बाध्य करते हैं। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी करता रहा है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज वन अधिकार पत्रों के ब्यौरे एमओटीए द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

इसके अलावा, वन में रहने वाले जनजातीय समुदायों को स्थायी आजीविका प्रदान करने और उनके कल्याण को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीए जेजीयूए) योजना शुरू की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ एफआरए के प्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं (पशुपालन विभाग की योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विभाग के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि, मत्स्य विभाग के अंतर्गत पीएम मत्स्य संपदा योजना) के लाभों को एफआरए पट्टा धारकों के लिए अभिसरण पर केंद्रित है। ब्यौरे **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।

(ग): राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें एफआरए और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

(घ): उपरोक्त के आलोक में यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ): वन अधिकार अधिनियम और उसके नियमों में दायर आवेदनों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

अनुलग्नक-I

"वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दावे" के संबंध में दिनांक 12.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2072 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- I

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 31.12.2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, दायर किए गए दावों, वितरित किए गए अधिकार पत्रों, अस्वीकृत और निर्णय के लिए लंबित दावों का राज्य-वार विवरण:

क्र.सं.	राज्य	31.12.2025 तक प्राप्त दावों की संख्या			31.12.2025 तक वितरित किए गए अधिकार पत्रों की संख्या			अस्वीकृत दावों की संख्या			लंबित दावों की संख्या
		व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल	
1	आंध्र प्रदेश	285,115	3,294	288,409	226,667	1,822	228,489	56,925	1,470	58,395	1,525
2	असम	180,965	7,547	188,512	84,861	2,575	87,436	15,772	607	16,379	84,697
3	बिहार	4,696	0	4,696	191	0	191	4,496	0	4,496	9
4	छत्तीसगढ़	890,220	57,259	947,479	481,432	52,636	534,068	403,129	3,658	406,787	6,624
5	गोवा	9,958	388	10,346	1,028	19	1,047	1,266	24	1,290	8,009
6	गुजरात	183,055	7,187	190,242	98,732	4,792	103,524	0	2,331	2,331	84,387
7	हिमाचल प्रदेश	5,931	864	6,795	883	148	1,031	55	0	55	5,709
8	झारखंड	107,032	3,724	110,756	59,866	2,104	61,970	26,370	1,737	28,107	20,679
9	कर्नाटक	289,236	5,940	295,176	15,355	1,345	16,700	258,109	4,270	262,379	16,097
10	केरल	44,455	1,014	45,469	29,422	282	29,704	12,821	296	13,117	2,648
11	मध्य प्रदेश	585,326	42,187	627,513	266,901	27,976	294,877	310,216	12,191	322,407	10,229
12	महाराष्ट्र	397,897	11,259	409,156	199,667	8,668	208,335	170,487	2,144	172,631	28,190
13	ओडिशा	732,866	36,777	769,643	464,329	9,352	473,681	145,762	578	146,340	149,622
14	राजस्थान	113,162	5,213	118,375	49,215	2,551	51,766	63,466	2,455	65,921	688
15	तमिलनाडु	33,119	1,548	34,667	15,442	1,066	16,508	12,293	418	12,711	5,448
16	तेलंगाना	651,822	3,427	655,249	230,735	721	231,456	92,744	1,682	94,426	329,367

17	त्रिपुरा	200,557	164	200,721	127,931	101	128,032	68,785	63	68,848	3,841
18	उत्तर प्रदेश	92,972	1,194	94,166	22,537	893	23,430	70,435	301	70,736	0
19	उत्तराखंड	3,587	3,091	6,678	184	1	185	3,403	3,090	6,493	0
20	पश्चिम बंगाल	131,962	10,119	142,081	44,444	686	45,130	87,333	9,254	96,587	364
21	जम्मू और कश्मीर	33,233	12,857	46,090	429	5,591	6,020	32,727	7,197	39,924	146
कुल		**4,977,166**	**215,053**	**5,192,219**	**2,420,251**	**123,329**	**2,543,580**	**1,836,594**	**53,766**	**1,890,360**	**758,279**

अनुलग्नक-II

"वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दावे" के संबंध में दिनांक 12.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2072 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीए जेजीयूए) के तहत एफआरए पट्टा धारकों को दिए गए लाभ:

i. **कृषि और किसान कल्याण विभाग** (एफआरए क्रियान्वित करने वाले राज्यों में सतत कृषि को बढ़ावा देना)।

- डीएपीएसटी निधि से 2 लाख एफआरए पट्टा धारकों को लक्षित करते हुए 2500 करोड़ रुपये (हर साल 500 करोड़ रूपये) की राशि का उपयोग किया जाएगा।
- एमओए एंड एफडब्ल्यू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) की दिशानिर्देशों में संशोधन किया है और 4 राज्यों असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा और जम्मू एवं कश्मीर के लिए 1,73,097 लाभार्थियों की पहचान की गई है।

ii. **पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग** (पशुपालन योजनाओं के माध्यम से एफआरए पट्टा धारकों को सहायता)।

- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के तहत अगले 5 वर्षों में मुर्गी पालन, बकरी पालन और भेड़ पालन आदि जैसे विभिन्न पशुधन संबंधी उपायों के साथ 8500 आईएफआर किसानों/उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए डीएपीएसटी निधि से 75 करोड़ रुपये (प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपये) की राशि का उपयोग किया जाएगा।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत डीएजेजीयूए के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश राज्यों को 29.11.2024 को जारी किए गए थे।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8 करोड़ रुपये - जम्मू और कश्मीर को 3 करोड़ रुपये, गुजरात को 15 लाख रुपये, त्रिपुरा को 1.5 करोड़ रुपये, असम को 1.5 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 1 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ को 70 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

(iii) मत्स्य पालन विभाग (आदिवासी मछुआरों और सीएफआर धारकों को मत्स्य पालन के लिए सहायता):

- डीएपीएसटी निधि से 375 करोड़ रुपये (प्रति वर्ष 75 करोड़ रुपये) की राशि का उपयोग किया जाएगा और लक्षित लाभार्थी 1,000 सीएफआर और 100,000 आईएफआर हैं।
- स्वीकृत प्रस्ताव और उससे संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 25-26 तक प्रस्तावों के वित्तीय ब्यौरे (करोड़ रुपये में)			
		कुल	केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	लाभार्थी का हिस्सा (10%)
1	असम	2	1.62	0.18	0.2
2	झारखंड	34.07	18.4	12.26	3.41
3	त्रिपुरा	2.44	1.97	0.22	0.24
4	गोवा	0.15	0.08	0.05	0.02
5	मध्य प्रदेश	20.36	11.01	7.34	2.01
6	महाराष्ट्र	9.71	5.24	3.5	0.97
7	बिहार	1.38	0.75	0.5	0.13
8	छत्तीसगढ़	28.08	15.17	10.11	2.8
9	हिमाचल प्रदेश	0.58	0.47	0.05	0.06
10	गुजरात	22.3	12.04	8.02	2.24
11	जम्मू और कश्मीर	2.02	1.82	-	0.2
12	उत्तराखंड	0.57	0.47	0.05	0.05
13	आंध्र प्रदेश	4.72	2.56	1.7	0.47
14	कर्नाटक	5	2.7	1.8	0.5
कुल		**133.38**	**74.3**	**45.78**	**13.3**

*****